R.M.M. Law College, Saharsa
Nareshji Anand
LL.B. Part - IInd
Paper - Ist (Muslim Law)
Family Law.

दण्ड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) 1973 की धारा 125 के तहत भरण पोषण का अधिकार;-

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 488 के अंतर्गत पत्नी को भरण-पोषण दिये जाने का प्रावधान पहले से था, किन्तु पत्नी को भरण-पोषण देने का आदेश न्यायालय जब पति को देता था तो पति अपनी पत्नी का तलाक देता था और तब न्यायालय का आदेश इद्दत अवधि के पश्चात समाप्त हो जाता था। परिणाम यह होता था कि मुस्लिम पुरुष न्यायालय द्वारा भरण-पोषण का आदेश दिये जाने के तुरन्त पश्चात ही अपनी पत्नी को तलाक देकर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 488 के अंतर्गत दिये गये न्यायालय के आदेश को निराकृत एवं व्यर्थ बना देता था। अब नई दण्ड प्रक्रिया 1973 के अंतर्गत धारा 125 के अधीन दिये गए न्यायालय के आदेश को पति निष्फल एवं व्यर्थ नहीं कर सकता था क्योंकि 125 (3) में संलग्न स्पष्टीकरण

के अनुसार —

"पत्नी शब्द में ऐसी स्त्री भी शामिल है जो पति द्वारा तलाक दी गई है, या जिसने पति के विरुद्ध विवाह-विच्छेद प्राप्त कर लिया है, और पुनर्विवाह नहीं किया है।

बाई ताहिरा बनाम अली हुसैन के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि तलाकशुदा पत्नी द्वारा भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार अधिनियमित अधिकार है और इसे मुस्लिम विधि के नियमों से पराभूत नहीं किया जा सकता।

जोहारा खातून बनाम मोहम्मद इब्राहीम के वाद में यह मत व्यक्त किया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत न केवल तलाकशुदा पत्नी ही सम्मिलित है बल्कि इसके अंतर्गत ऐसी पत्नी भी सम्मिलित है जिसने मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत विवाह के विघटन के डिक्री प्राप्त कर लिया है, अतः इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर लेने के बाद भी पत्नी अपने पूर्व पति से भरण-पोषण प्राप्त कर सकती है, बशर्ते उसने दूसरा विवाह न कर लिया हो।

उच्चतम न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 और 127 की उपधारा कर यह अवधारित किया कि 'मेहर' विवाह के प्रतिफल स्वरूप होता है न कि तलाक

के परिणाम स्वरूप। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 इस प्रकार है:-

यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति भरण-पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण-पोषण करने से इन्कार करता है, तो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इन्कार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी के भरण-पोषण के लिए कुल मिलाकर पाँच सौ रुपये से अधिक ऐसे मासिक दर पर जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे मासिक भत्ता दे।

स्पष्टीकरण:-

पत्नी के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है, जिसके पति ने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया है और उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।

यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया है, उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम की ऐसी रीति से उद्ग्रहीत किए जाने के लिए वारण्ट जारी कर सकता है जैसी रीति उद्ग्रहीत करने के लिए प्रावधानित है और उस वारण्ट के निष्पादन के प्रत्येक मास के न चुकाए गए पूरे भत्ते या उसके किसी भाग के लिए ऐसे

Scanned with CamScanner

व्यक्ति को एक मास तक की अवधि के लिए अथवा यदि वह उससे पूर्व चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय तक के लिए कारावास का दंडादेश दे सकता है।

परंतु यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरण-पोषण करने का प्रस्ताव करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इन्कार करती है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इन्कार के किन्हीं कारणों पर विचार कर सकता है और ऐसे प्रस्ताव किये जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिए न्यायसंगत आधार है।

स्पष्टीकरण :—

"यदि पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है या रखैल रखता है, तो वह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इन्कार का न्यायसंगत आधार माना जाएगा।"

धारा 127 (3)(क) जिस पर अपीलार्थी पति ने अपने बचाव की आधारशिला स्थापित की है।